भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्‍चतर शिक्षा विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या : 52

उत्‍तर देने की तारीख : 24 नवंबर, 2014

**उच्च शिक्षा के मानकों का विनियमन**

**52. डा॰ चंदन मित्राः**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का देश में उच्च शिक्षा के मानकों को विनियमित करने हेतु किसी स्वतंत्र प्राधिकरण की स्थापना करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से उपाधियां प्रदान करने के नाम पर अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर अपने अध्ययन केन्द्र स्थापित करके देश भर में उच्च शिक्षा के सभी प्रतिमानों का उल्लंघन करने वाले निजी विश्वविद्यालयों के तेज़ी से फलते-फूलते व्यापार पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्‍तर**

**मानव संसाधन विकास राज्‍यमंत्री**

**(प्रो. (डॉ.) राम शंकर कठेरिया)**

**(क) और (ख):** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की स्थापना देश के विश्वविद्यालयों में समन्वय एवं उच्चतर शिक्षा के मानदण्ड़ों के निर्धारण के लिए यूजीसी अधिनियम, 1956 द्वारा की गई थी। उच्चतर शिक्षा के मानदण्डों को विनियमित करने वाले यूजीसी अधिनियम, 1956 और उसके अधीन बनाए गए नियम और विनियम [www.ugc.ac.in](http://www.ugc.ac.in) पर उपलब्ध हैं। देश में व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा को नियमित करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई), भारतीय डेंटल परिषद (डीसीआई), भारतीय बार परिषद (बीसीआई), भारतीय नर्सिंग परिषद, भारतीय फार्मेसी परिषद, केन्द्रीय होमियोपैथी परिषद, केन्द्रीय भारतीय औषध परिषद तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जैसी विनियामक परिषदें संविधि द्वारा स्थापित की गई हैं।

**(ग):** यूजीसी ने निजी विश्वविद्यालयों में स्थापना और मानकों के अनुरक्षण को विनियमित करने के लिए विनियम जारी किए हैं। ये विनियम <http://www.ugc.ac.in/oldpdf/regulations/establishmentmaintenance.pdf>. पर उपलब्ध हैं। यूजीसी ने यह भी सूचित किया है कि किसी विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार के संबंध में उसकी नीति के अनुसार किसी एक राज्य अधिनियम के अधीन किसी विश्वविद्यालय की स्थापना अथवा नियमन उसके अधिनियम के अधीन उसे आबंटित प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ही संचालित होगा तथा किसी भी मामले में उसकी अवस्थिति की सीमा के बाहर नहीं होगा। यूजीसी द्वारा अध्ययन केन्द्रों की फ्रैंचाइजी की अनुमति नहीं दी जाती है।

यूजीसी ने विश्वविद्यालयों से कहा है कि वे प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के संबंध में यूजीसी की नीति का पालन करें और यूजीसी की नीति का उल्लंघन करके खोले गए किसी भी केन्द्र को बंद कर दें। अग्रणी समाचार पत्रों में पब्लिक नोटिस जारी किए गए हैं और साथ ही आम जनता और छात्रों को यह सलाह देते हुए यूजीसी की वेबसाइट पर दर्शाए गए हैं कि वे गैर-अनुमोदित अध्ययन केन्द्रों/ऑफकैंपस केन्द्रों आदि में दाखिला न लें। इस पब्लिक नोटिस की एक प्रति [http://www.ac.in/pdfnews/4345907 noticeoffcampus.pdf](http://www.ac.in/pdfnews/4345907%20noticeoffcampus.pdf) पर उपलब्ध है।

\*\*\*\*\*